अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

भारतीय निवासियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पहचान प्रपत्र जारी करने से पूर्व, कई प्रपत्र यथा, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी खाता संख्या (पैन), मतदाता पहचान पत्र आदि, पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप में उपयोग में थे। आसानी से सत्यापित होने वाले पहचान प्रपत्रों की अनुपस्थिति पहचान संबंधी धोखाधड़ियों एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से लाभ वितरण की प्रणाली में कमियों के लिये सहायक थी तथा इसलिए देश के निवासियों हेतु एक विशिष्ट पहचान रखने की आवश्यकता थी।

विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर प्रथम बार 2006 में चर्चा की गई तथा उस पर कार्य किया गया, जब "बीपीएल परिवारों हेतु विशिष्ट आई डी" परियोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 03 मार्च 2006 को तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गयी थी। तत्पश्चात्, बीपीएल परिवारों हेतु विशिष्ट आईडी परियोजना के अंतर्गत कोर डेटाबेस से डेटा फ़ील्ड को अद्यतन करने, संशोधन, करने, जोड़ने एवं हटाने हेतु प्रक्रियाओं का सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन (03 जुलाई 2006) को किया गया था।

डी आई टी ने प्रक्रिया समिति को एक "रणनीतिक दृष्टि- निवासियों का विशिष्ट पहचान" प्रस्तुत की, जिसने प्राधिकरण हेतु एक समस्त विभागीय एवं तटस्थ पहचान सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के तत्वावधान में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक यू आई डी प्राधिकरण की आवश्यकता की सराहना की तथा अनुमोदन किया। प्रक्रिया समिति ने संसाधन मॉडल के आधार पर "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तत्कालीन योजना आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया (30 अगस्त 2007)।

सचिवों की समिति की संस्तुतियों एवं अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ई जी ओ एम) के निर्णय के आधार पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को, तत्कालीन योजना आयोग के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में, 28 जनवरी 2009 (2015 में नीति आयोग[1] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)[2] को बनाया गया। भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) पर प्रधान मंत्री परिषद (22 अक्टूबर 2009 को यू आई डी ए आई पर एक कैबिनेट समिति द्वारा प्रतिस्थापित) का गठन 30 जुलाई 2009 को मंत्रालयों/ विभागों, हितधारकों एवं भागीदारों के मध्य समन्वय

---

1 नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक एवं नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है।

2 सितंबर 2015 में, यू आई डी ए आई को तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ओ सी आई टी) के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) से सम्बद्ध किया गया था।

सुनिश्चित करने के लिए यू आई डी ए आई को कार्यक्रम, कार्यप्रणाली तथा कार्यान्वयन पर परामर्श देने के लिए किया गया था।

कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार, आधार नामांकन का कार्य प्रारंभ में यू आई डी ए आई तथा भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आर जी आई) के मध्य भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया था। तद्नुसार, यू आई डी ए आई को 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आधार नामांकन करने का कार्य सौंपा गया था तथा आर जी आई को 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन करना था।

सितंबर 2015 में, यू आई डी ए आई को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) (तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) के अंतर्गत लाया गया था। यू आई डी ए आई को वैधानिक स्थायित्व देने हेतु, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) विधेयक, 2016 को संसद में 03 मार्च 2016 को धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, जिसे आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के रूप में अधिसूचित (26 मार्च 2016) किया गया था।

यू आई डी ए आई के पास सभी निवासियों को एक विशिष्ट पहचान (यू आई डी) जारी करने का उत्तरदायित्व है, जो समरूप अथवा जाली पहचान को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ थी तथा इसे कभी भी, कहीं भी सत्यापित एवं प्रमाणित किया जा सकता था। यू आई डी ए आई द्वारा ब्रांड नाम 'आधार' के साथ स्थापित डिजिटल पहचान मंच ने सितंबर 2010 में प्रथम यू आई डी बनाया एवं महत्वाकांक्षी आधार योजना 29 सितंबर 2010 को भारत में महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले के एक गांव टेम्भली में आरंभ की गई, जहां से प्रथम आधार जारी किया गया था। मार्च 2021 तक आधार डेटाबेस 129.04 करोड़ तक पहुंच गया है तथा इसे संसार की सबसे वृहद् बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणालियों में से एक माना जाता है।

1.2 आधार की संवैधानिक वैधता

आधार के शुभारम्भ के पश्चात्, सरकार ने उत्तरोत्तर कई कल्याणकारी योजनाओं हेतु आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त खाद्य पदार्थ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी की गारन्टी, पैन कार्ड सम्बद्ध करना, दूरसंचार ग्राहक सत्यापन आदि सम्मिलित हैं। हालांकि, आधार योजना को समय-समय पर कई याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न विधि न्यायालयों में चुनौती दी गई थी तथा इसकी संवैधानिक वैधता 2010 से विचाराधीन थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 26 सितंबर 2018 के अपने ऐतिहासिक

निर्णय में आधार (वित्तीय वितरण का लक्षित वितरण एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाएं) अधिनियम, 2016, के संवैधानिक[3] होने को मान्य ठहराया।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय[4] के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:

अ. आधार अधिनियम, 2016 निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। अधिनियम की धारा 7 संवैधानिक है। 'लाभ' एवं 'सेवाएं' वे होनी चाहिए जिनमें किसी प्रकार की सब्सिडी का बिम्ब हो नामत: सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जिसके अंतर्गत सरकार ऐसे लाभ दे रही है जो एक विशेष वंचित वर्ग को लक्षित कर रहे हैं।

ब. निवासियों को आधार संख्या प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नामांकन स्वैच्छिक प्रकृति का था, यद्धयपि, यह उन लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कोई सब्सिडी, लाभ अथवा सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका व्यय भारत की संचित निधि से वहन किया जाना है। इस प्रकार सी बी एस ई, एन ई ई टी, जे ई ई, यू जी सी आदि संस्थान छात्रों के लिए आधार की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं।

स. प्रमाणीकरण की विफलता पर किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा एवं वैकल्पिक माध्यमों से पहचान स्थापित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करना उचित होगा।

द. किसी भी बच्चे को धारा 7 के अंतर्गत किसी भी कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि, किन्हीं कारणों से, वह आधार संख्या को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है तो किसी अन्य प्रपत्र के आधार पर पहचान की पुष्टि करके लाभ दिया जाएगा।

य. आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 के विनियम 27, जो पांच वर्षों के लिए डेटा संग्रहीत करने का प्रावधान करता है, को निरस्त कर दिया गया। छह माह से अधिक के डेटा को बनाये रखने की अनुमति नहीं थी।

र. धारा 57 जिसने निगमित निकाय एवं व्यक्तियों को प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया, को असंवैधानिक व शून्य माना गया।

---

[3] भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 494, जिसने 26 सितंबर 2018 के अपने निर्णय में कई अन्य रिट याचिकाओं पर भी विचार किया।

[4] पीठ ने अपना 4:1 का निर्णय दिया:-

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी एवं न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की बहुमत राय
- न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सहमति राय
- न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की असहमति राय

ल. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 एए (पैन की आधार से सम्बद्धता हेतु) को संवैधानिक ठहराया गया था।

व. संशोधित पी एम एल ए नियम, 2017 का नियम 9, जो आधार की बैंक खातों से सम्बद्धता अनिवार्य करता है, को असंवैधानिक ठहराया गया था।

प. दूरसंचार विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2017, जो मोबाइल नंबरों की आधार से सम्बद्धता अनिवार्य करता है, को असंवैधानिक ठहराया गया था।

इस प्रकार, यद्यपि आधार एक विधिक प्रपत्र है एवं सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, फिर भी निवासी अन्य सेवाओं के प्रकरण में भी अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु इसे स्वेच्छा से प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार ने अपने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा पात्र व्यक्तियों को सेवाओं एवं लाभों से वंचित होने से बचाने के लिए डेटा की गोपनीयता की आगे रक्षा तथा सुरक्षा उपायों को समाहित करने हेतु, संसद में आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 (23 जुलाई 2019 को अधिसूचित)[5] पारित किया। इसके अतिरिक्त, आधार के माध्यम से श्रेष्ठतर सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 तथा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में क्रमशः आवश्यक परिवर्तनों के साथ, सिम कार्ड प्राप्त करने एवं बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण का स्वैच्छिक उपयोग प्राविधित किया गया था।

1.3 यू आई डी ए आई प्राधिकरण

1.3.1 प्राधिकरण की शाक्तियां

यू आई डी ए आई, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 23 एवं 23 ए द्वारा परिभाषित कार्य निष्पादित करता है। इसके पास इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने एवं प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणालियाँ विकसित करने का अधिकार है।

प्राधिकरण की शक्तियों एवं कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्मिलित हैं

(अ) विनियमों द्वारा, नामांकन के लिए आवश्यक जनसांख्यिकीय सूचनायें एवं बायोमेट्रिक सूचनायें तथा उसके संग्रह एवं सत्यापन के लिए प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना;

(ब) आधार संख्या की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचनायें एवं बायोमेट्रिक सूचनायें इस तरह से एकत्र करना जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

---

[5] भारत सरकार ने 02 मार्च 2019 को "आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019" प्रस्तुत किया, जिसे 23 जुलाई 2019 को एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया।

(स) केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक संचालित करने के लिए एक या अधिक संस्थाओं की नियुक्ति;

(द) व्यक्तियों के आधार संख्या सृजित करना एवं प्रदान करना;

(य) आधार संख्या का प्रमाणीकरण करना;

(र) केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक में व्यक्तियों की सूचनाओं को इस तरह से अनुरक्षित एवं अद्यतन करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ल) आधार संख्या एवं उससे संबंधित सूचनाओं को ऐसी विधि से विलोपित एवं निष्क्रिय करना जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(व) विभिन्न सब्सिडी, लाभ, सेवाओं एवं अन्य उद्देश्यों को प्रदान करने अथवा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए आधार संख्या के उपयोग की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करना, जिसके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है;

(प) विनियमों द्वारा, निबंधकों, नामांकन संस्थाओं एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति तथा उनकी नियुक्तियों के निरसन के लिए नियमों एवं प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करना;

(फ) केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण;

(ब) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आधार संख्या धारकों की सूचनाओं को विनियमों द्वारा निर्दिष्ट विधि से साझा करना;

(भ) इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक, निबंधकों, नामांकन संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं के इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु सूचनाओं एवं अभिलेखों की मांग करना, निरीक्षण, पूछताछ तथा संचालन की लेखापरीक्षा करना;

(म) विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा उपायों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना;

(त) शुल्क अध्यारोपित एवं एकत्र करना अथवा निबंधकों, नामांकन संस्थाओं अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऐसा शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत करना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

प्राधिकरण

(अ) सूचना के संग्रह भंडारण, सुरक्षा अथवा प्रसंस्करण अथवा व्यक्तियों को आधार संख्या का वितरण या प्रमाणीकरण करने के संबंध में किसी भी कार्य को करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों या अन्य संस्थाओं के साथ अनुबंध ज्ञापन या अनुबंध, जैसा भी प्रकरण हो, कर सकता है,

(ब) ऐसी संख्या में निबंधकों को नियुक्त करने, ऐसी संस्थाओं को सम्मिलित एवं अधिकृत करने ताकि वे सूचनायें को एकत्र, संग्रह, सुरक्षित, संसाधित कर सकें अथवा प्रमाणीकरण करने या इस प्रकार के अन्य कार्यों को करने, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो सकते हैं, अधिसूचना द्वारा कर सकता है।

प्राधिकरण ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक एवं नियमों तथा प्रतिबंधों पर जैसा कि संविदा द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक परामर्शदाताओं, मंत्रणाकारों एवं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

प्राधिकरण, इस अधिनियम, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, समय-समय पर आधार पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी इकाई को, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है। आधार पारिस्थितिकी तंत्र में जारी किए गए प्रत्येक निर्देश का पालन इकाई द्वारा किया जाएगा, जिसे इस प्रकार के निर्देश जारी किए गये हैं।

1.3.2 संगठनात्मक ढांचा

यू आई डी ए आई का मुख्यालय नई दिल्ली में है एवं देशभर में इसके आठ (8) क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ) हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओ) का स्थान एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **चित्र 1.1** में दर्शायें गये हैं। यू आई डी ए आई दो डाटा सेंटर (डी सी) भी संचालित करता है, एक हेब्बल, बेंगलुरु, कर्नाटक में एवं दूसरा मानेसर, हरियाणा में।

चित्र 1.1

अंशकालिक आधार पर नियुक्त एक अध्यक्ष दो अंशकालिक सदस्यों तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी ई ओ) के साथ प्राधिकरण का प्रमुख होता है, जो यू आई डी ए आई का सदस्य-सचिव भी होता है। सीईओ प्राधिकरण का वैधानिक प्रतिनिधि है एवं इसके दैनिक प्रशासन तथा इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें यू आई डी ए आई को प्रदत्त किये गये कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न प्रस्तावों को तैयार करना, लेखों की तैयारी करना आदि समाहित हैं। मुख्यालय में सी ई ओ को उप महानिदेशक (डी डी जी) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है एवं यू आई डी ए आई के विभिन्न प्रभागों के प्रभारी हैं। यू आई डी ए आई के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का नेतृत्व एक डी डी जी करता है। 31 मार्च 2021 तक यू आई डी ए आई मुख्यालय में विभिन्न संवर्गों में 130 स्वीकृत पद[6] थे, जबकि धारित-स्थिति 95 थी। 31 मार्च 2021 तक यू आई डी ए आई के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 219 स्वीकृत पदों में से धारित-स्थिति 148 थी। प्राधिकरण ने अधिकतर विभिन्न सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के साथ कार्य किया है।

1.3.3 निबंधक

यू आई डी ए आई निवासियों को नामांकित करने के उद्देश्य से संस्थाओं को निबंधक के रूप में अधिकृत करता है। उनकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को यू आई डी ए आई के साथ उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध ज्ञापन (एमओयू) द्वारा परिभाषित किया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों, बैंकों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को निंबधक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। निबंधक के पास विकल्प होता है कि या तो वह स्वयं अथवा

[6] डाटा स्रोत: यू आई डी ए आई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उसके द्वारा उप-अनुबंधित की गयी नामांकन संस्थाओं के माध्यम से नामांकन करा सकता है। यू आई डी ए आई ने 31 मार्च 2021 तक 177[7] निंबधको को अधिकृत किया था।

1.3.4 नामांकन संस्थायें

नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत यू आई डी ए आई या निबंधक निवासियों की जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचनायें एकत्र करने हेतु नामांकन संस्थाओं (ई ए) की नियुक्ति करते हैं। नामांकन संस्थाओं (ई ए) ने निवासियों के नामांकन एवं निवासी डेटा के सुधार/अद्यतन हेतु नामांकन केंद्र स्थापित किये है। नामांकन संस्थायें (ई ए) उन संचालकों को नियुक्त करती हैं जो निवासियों के नामांकन, नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचनाओं को एकत्र करने, केंद्रीय पहचान डेटा संग्राहक (सी आई डी आर)[8] में अपलोड करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। निवासियों की जनसांख्यिकीय सूचनाओं के संबंध में नामांकन संस्थाओं (ई ए) द्वारा एकत्र किए गए प्रपत्रों की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण दल द्वारा बैक-ऑफ़िस गुणवत्ता जांच सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से जांच की जाती है। 31 मार्च 2021 तक 436 नामांकन संस्थायें थीं।

1.4 विधान, नियम एवं विनियम

आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 (इसके पश्चात् आधार अधिनियम के रूप में संदर्भित) तथा आधार एवं अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम 2019 यू आई डी ए आई के संचालन के लिए वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। 2016 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों से, यू आई डी ए आई ने अपने अनिवार्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए विभिन्न विनियमों को अधिसूचित किया। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम 2016, आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016, आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम 2016 तथा आधार (सूचना साझेदारी) विनियम 2016 एवं इसमें किये गये संशोधन यू आई डी ए आई की कार्य पद्धति एवं गतिविधियों से संबंधित कार्यकलापों को विनियमित करते हैं। सामान्यत: यह विनियम यू आई डी ए आई के संचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। अधिनियम की आवश्यकताओं एवं विभिन्न विनियमों में संबंधित प्रावधानों को **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है। यू आई डी ए आई आपूर्ति मैनुअल 2014 एवं जीएफआर 2005/2017 संगठन में क्रय एवं आपूर्ति को विनियमित करते हैं।

1.5 प्रतिवेदन की संरचना

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सात अध्याय हैं। **अध्याय 1** विषय का परिचय देता है। **अध्याय 2** लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड एवं प्रयुक्त

---

[7] डाटा स्रोत: यू आई डी ए आई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

[8] जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचनाओं के साथ जारी किये गये आधार नंबर केंद्रीकृत डाटाबेस में सुरक्षित हैं अर्थात् बंगलौर में स्थित यू आई डी ए आई का सी आई डी आर।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा अपनायी गई अच्छी एवं लेखापरीक्षा के दौरान आने वाली बाध्यताओं की व्याख्या करता है। **अध्याय 3** "नामांकन, अद्यतन एवं प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र" तथा "प्रमाणीकरण पारिस्थितिकी तंत्र" से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन करता है जबकि **अध्याय 4** में "वित्त तथा संविदाओं का प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष समाहित हैं। **अध्याय 5** एवं **अध्याय 6** क्रमशः "आधार सूचना प्रणाली की सुरक्षा" तथा "ग्राहकों की शिकायतों का निवारण" से संबंधित हैं। अंत में, **अध्याय 7** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निष्कर्ष देता है।